

आखिर उदयपुर के इन चार कॉलेजो पर गिर ही गयी

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाज!!!

अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर,

अमेरिकन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस,

गीतांजलि मेडिकल कॉलेज,

पेसेफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर एनएमसी ने

इन कॉलेजो के यूजी और पीजी के प्रवेश किए निरस्त!!

यदि यह आदेश निरस्त नहीं हुए तो कॉलेज संचालको को पड़ जाएंगे लेने के देने!!

लौटाने पड़ेगी 1000 करोड़ की केपिटेशन/डोनेशन फीस!!! इज्जत जाएगी सो अलग!!

जवाब मांगते सवाल?

क्या यह सारा खेल किसी बड़ी डील का हिस्सा?

क्या एनएमसी अपनी पूर्ववर्ती संस्था एमसीआई की तरह

पुनः बहाल करेगा इन निरस्त की गयी सीटो को?

कितने मे होगी डील? किसके साथ होगी डील?

क्या प्रवर्तन निदेशालय/सीबीआई रखेगी इस पूरे मामले पर नजर?

विशेष रिपोर्ट-2

पिछले दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के निर्देशन पर मारे गए छापो के बाद उदयपुर के 4 मेडिकल कॉलेजो के यूजी और पीजी के प्रवेश किए गए निरस्त।

1,000 मेडिकल छात्रों का भविष्य अधर में उदयपुर के 4 मेडिकल कॉलेजों के यूजी और पीजी के प्रवेश निरस्त

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

उदयपुर. नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने उदयपुर के चार निजी मेडिकल कॉलेजों में वर्ष 2021-22 में दिए गए एमबीबीएस तथा पीजी के सभी प्रवेश निरस्त कर दिए हैं। इससे इन चारों मेडिकल कॉलेजों के करीब एक हजार विद्यार्थियों का भविष्य अधर में है। एनएमसी ने इन कॉलेजों के इस सत्र को जीरो-सेशन घोषित कर दिया है।

गौरतलब है कि इन विद्यार्थियों की कक्षाएं शुरू हुए करीब दो सप्ताह हो गए हैं। अचानक इस आदेश से मेडिकल कॉलेज प्रबंधन सकते में हैं। गत 24 फरवरी को केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय की टीम ने इन चारों कॉलेजों में आकस्मिक निरीक्षण किया था। इस दौरान टीम ने कुछ खामियां बताई थीं। इसके लिए कॉलेजों से जवाब भी मांगा गया था।

ये हैं कॉलेज

- पेसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पिम्स उमरड़ा।
- अमेरिकन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज।
- गीतांजली मेडिकल कॉलेज।
- अनन्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर।

निर्देशों का इंतजार

नेशनल मेडिकल कमीशन ने निरीक्षण के बाद 2021-22 के लिए इन मेडिकल कॉलेजों का लेटर ऑफ परमिशन निरस्त किया है। अब इस सत्र में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के भविष्य का क्या होगा, इस बारे में एनएमसी के निर्देशों का इंतजार है। वैभव गालरिया, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग

केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग, भारत सरकार के निर्देश पर गठित कमिटियों द्वारा बीते दिनों में देशभर के 12 मेडिकल कॉलेजो का औचक निरीक्षण किए गए। यह निरीक्षण मेडिकल कॉलेजो द्वारा उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों, मेडिकल सुविधाओ मे लगातार आ रही गिरावट को लेकर किए गए थे।

इन औचक निरीक्षणों के बाद कुछ कॉलेजो को शो-काँज़ नोटिस जारी किए गए जबकि एक मेडिकल कॉलेज को बंद कर दिया गया।

इसी क्रम मे उदयपुर के इन चारो कॉलेजो को भी शो-काँज़ नोटिस जारी कर, 15 दिन मे जवाब मांगा गया था, इन चारो कॉलेजो द्वारा जवाब पेश करने के बाद, 14 अप्रैल को एनएमसी द्वारा आदेश जारी कर उदयपुर के अनन्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, अमेरिकन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज, पेसेफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उमरडा के वर्ष 2021-22 के लिए यूजी और पीजी हेतु जारी लेटर ऑफ परमिशन को निरस्त कर दिया गया।

मामला एक हजार करोड़ का

सूत्रों के हवाले से इन चारो मेडिकल कॉलेजो की करीब 1000 सीटो पर निरस्तीकरण की तलवार लटकी चुकी है। जिनकी केपिकेशन/डोनेशन फीस (मेनेजमेंट सीटो पर दो नंबर मे ली जाने वाली रकम) का कम से कम एक करोड़ प्रति सीट से भी अनुमान लगाया जाए तो यह करीब 1000 करोड़ का मामला बनता है।

यदि कॉलेज संचालको द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गयी और यह सभी सीटे निरस्त ही रही तो कॉलेज संचालको को यह 1000 करोड़ (केपिकेशन/डोनेशन फीस) पुनः छात्रो और उनके अभिभावकों को लौटाने पड़ेंगे। इसके साथ ही इन कॉलेजो की साख जाएगी सो अलग। ऐसे मे कॉलेज संचालक किसी भी हाल मे इतने बड़े नुकसान को झेलने को तैयार नहीं होंगे और येन-केन प्रकारेण पूर्व की भांति बीच का कोई रास्ता निकालने की जुगाड़ करेंगे। वैसे पेसेफिक और गीतांजलि के कारनामे हमारे द्वारा पहले ही बताए जा चुके है, बाकी कॉलेजो के कारनामो के खुलासे आगामी अंको मे किए जाएंगे।

इन चारो कॉलेजो के वर्ष 2021-22 के लिए निम्न पीजी और यूजी प्रवेशों को किया गया निरस्त

American International Institute of Medical Sciences, Bedwas	Ananta Institute of Medical Sciences & Research Centre, Rajsamand	Geetanjali Medical College & Hospital, Udaipur	Pacific Institute of Medical Sciences, Umarda, Udaipur
MD - Paediatrics MS - General Surgery MS - Otorhinolaryngology MS - Ophthalmology MD - Pathology MD - Psychiatry MD - General Medicine MS - Orthopaedics MD - Radio Diagnosis/Radiology MD/MS - Obstetrics & Gynaecology MD - Anaesthesiology MD - Community Medicine M.B.B.S.	MD - Anaesthesiology MD - Community Medicine MD - General Medicine MD - Respiratory Medicine MD - Psychiatry MS - General Surgery MS - Ophthalmology MD - Radio Diagnosis MD - Pathology MD - Forensic Medicine MD - Paediatrics MD - Dermatology , Venereology & Leprosy MS - Orthopaedics MS - Otorhinolaryngology M.B.B.S.	DM - Nephrology M.Ch - Surgical Oncology M.Ch - Urology M.Ch - Neuro Surgery DM - Cardiology DM - Neurology MS - General Surgery MD - Radiotherapy/ Radiation Oncology MD/MS - Ophthalmology MD - Anaesthesiology MD - Psychiatry MS - ENT MD - Radio Diagnosis/Radiology MS - Orthopaedics MD - General Medicine MD/MS - Obstetrics & Gynaecology MD - Paediatrics MD - Tuberculosis & Respiratory Diseases / Pulmonary Medicine MD - Dermatology , Venereology & Leprosy MD - Pathology MD - Pharmacology MD - Social & Preventive Medicine / Community Medicine MD - Bio-Chemistry MD/MS - Anatomy MD - Physiology MD - Forensic Medicine/Forensic Medicine & Toxicology MD - Microbiology	MD/MS - Obstetrics & Gynaecology MS - General Surgery MD - Psychiatry MS - ENT MD - Pathology MD - Radio Diagnosis/Radiology MD - Dermatology , Venereology & Leprosy MD/MS - Ophthalmology MD - General Medicine MS - Orthopaedics MD - Paediatrics MD - Tuberculosis & Respiratory Diseases / Pulmonary Medicine MD - Anaesthesiology M.B.B.S.

सबसे बड़ा सवाल?

क्या यह सारा खेल किसी बड़ी डील का हिस्सा? क्या एनएमसी पुनः बहाल करेगा इन निरस्त की गयी सीटों को? कितने में होगी डील? किसके साथ होगी डील?

एनएमसी की इस कार्यवाही से एक बार तो इन कॉलेजों के दाखिला लेने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों की जान सांसत में आ गयी है। वही सभी कॉलेजों के संचालक भविष्य की रणनीति बनाने में लग गए हैं। समाचार पत्र में प्रकाशित खबरों के अनुसार यह

कॉलेज संचालक न्यायालय का द्वार खटखटाने की भी तैयारी कर रहे हैं।

वहीं दूसरी ओर जानकारों का मानना है कि यह सारा घटनाक्रम किसी बड़ी डील का हिस्सा मात्र है। इससे पहले भी एनएमसी की पूर्ववर्ती संस्था एमसीआई द्वारा कई बार ऐसे नोटिस जारी कर, देश भर के कई कॉलेजों के प्रवेश सत्रों को निरस्त किया जाता रहा है। लेकिन कॉलेज संचालकों और कतिपय अधिकारियों, नेताओं के बीच डील हो जाने के बाद, महज कुछ ओपचरिकताएँ पूरी कर ऐसे निरस्त प्रवेश सत्रों को पुनः बहाल कर दिया जाता रहा है। ऐसे में इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि यही खेल इस मामले में दुबारा खेला जाये।

क्या जांच एजेंसियां रखेगी इस पूरे मामले पर नजर?

जैसा कि ज्ञात है कि पिछले माह सीबीआई द्वारा पेसेफिक के रजिस्ट्रार शरद कोठारी और एमसीआई, डीसीआई के कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर व्यापक स्तर पर मिलीभगत की जांच की जा रही है। सीबीआई को जानकारी मिली थी कि यह तीनों व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ मिल कर, पेसेफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और पेसेफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के मेनेजमेंट कोटे में हुई अनियमितताओं के मामलों को रफा-दफा करवाने और एमसीआई द्वारा मेडिकल कॉलेजों के किए जाने वाले निरीक्षणों की खबर और अन्य महत्वपूर्ण और संवेदनशील जानकारियाँ लीक करने के मामले में लिप्त हैं।

ऐसी स्थिति में यदि इन कॉलेज संचालकों और कतिपय अधिकारियों, राजनेताओं द्वारा कोई बड़ी डील की जाती है तो संभव है कि सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों को कोई बड़ी सफलता हाथ लग जाए।

सिटी प्राइम एंकर
प्रबंधन ने बताया इसे गलत निर्णय

सीट निरस्त करने की कार्रवाई: मेडिकल कॉलेज हो गए स्तब्ध

कॉलेज खटखटाएंगे न्यायालय के द्वार

पूरी सरकारी प्रक्रिया से प्रवेश हुए तो फिर ये कार्रवाई क्यों

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

उदयपुर. उदयपुर के चारों प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस व पीजी की सीट पर प्रवेश निरस्त करने की कार्रवाई से विद्यार्थियों का पवित्र अधर में नजर आ रहा है, वहीं दूसरी ओर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन इसे गलत और जानबूझकर परेशान करने की कार्रवाई बता रहे हैं। कॉलेज अब पूरे मामले को लेकर न्यायालय के द्वार खटखटाने की तैयारी में हैं। कॉलेजों के प्रबंधन की दलील है कि जो-जो कमियां बताई गई हैं, इस तरह की कमियां तो कॉलेजों में हैं ही नहीं। कॉलेज निरीक्षण को लेकर सभी मापदंड पूरे करते हैं, इसके बाद भी इस तरह की कार्रवाई को अभिभावक भी गलत बता रहे हैं।

ये है मेडिकल कॉलेज

कॉलेज	सीट यूजी- पीजी
पेसेफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज-पिम्स उमरगड़ा	150 - 67
अमेरिकन इन्टरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज	150 -
गीतांजली मेडिकल कॉलेज	250 -
अनन्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर	150- 102

24 फरवरी को हुए थे एनएमसी के निरीक्षण

गत 24 फरवरी को केन्द्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय की टीम ने इन चारों कॉलेजों में आकस्मिक निरीक्षण किए थे। इसकी रिपोर्ट बाद में एनएमसी को भेजी गई थी। निरीक्षण के बाद एनएमसी ने 23 मार्च को जो कोज नोटिस सभी चारों कॉलेजों को जारी कर 15 दिन में जवाब मांगे थे। सभी कॉलेजों की ओर से जवाब देने के बाद 14 अप्रैल को प्रवेश निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं। हालांकि कॉलेजों में फिलहाल पढ़ाई निरन्तर जारी है।

सरकारी काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश लेने व विद्यार्थियों की पढ़ाई शुरू होने के बाद इस तरह की कार्रवाई से कॉलेज प्रबंधन स्तब्ध हैं। हालांकि कॉलेजों ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि उन्हें अनियमित पढ़ाई करनी है, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। चारों मेडिकल कॉलेजों में मिलाकर 700 एमबीबीएस की सीट उपलब्ध हैं, जबकि यूजी की भी अलग-अलग सीट्स हैं। एनएमसी ने इन कॉलेजों से ये कमियां बताईं, जबकि कॉलेज

जब सरकार के निर्देश पर प्रवेश तो कार्रवाई क्यों

इन विद्यार्थियों की अलग-अलग फेज में जयपुर आरयूएचएस के डेंटल कॉलेज में काउंसिलिंग हुई थी। फर्स्ट राउण्ड की काउंसिलिंग ऑनलाइन थी, जबकि सेकंड व थर्ड राउण्ड की काउंसिलिंग फिजिकली हुई थी। इसके आधार पर आवंटित विद्यार्थियों को कॉलेजों में प्रवेश दिया गया था। सभी कॉलेजों द्वार पूरे सरकारी सिस्टम को निभाया गया और उसके अनुरूप ही प्रवेश दिए गए, इसके बावजूद इस तरह की कार्रवाई का कॉलेज प्रबंधन में विरोध जताया है।

बोलें- ये कमियां तो हैं ही नहीं...

- फैकल्टी कम होना
- आधारभूत सुविधाएं कम
- बेड पर मरीजों की संख्या कम होना।
- क्लिनिकल मटेरियल को लेकर कमियां

प्रक्रिया से हुए हैं प्रवेश

एनएमसी ने यूजी प्रवेश के लिए स्वीकृति दी थी। राजस्थान यू काउंसिलिंग बोर्ड ने 150 एमबीबीएस स्टूडेंट्स अलॉट किए। सभी पास सरकार की काउंसिलिंग बोर्ड के अलॉटमेंट लेटर हैं, इस आधार ही प्रवेश दिया गया, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। पीजी के लिए हमें कुछ विश्व स्वीकृति एनएमसी ने दी जबकि कुछ विषय में बड़ी हुई सीट की स्वीकृति हाईकोर्ट के आदेश पर जारी हुई। ये बच्चे नियमित पढ़ाई व रहे हैं। सभी के पास पीजी काउंसिलिंग बोर्ड के अलॉटमेंट लेटर हैं।

नितिन शर्मा, रजिस्ट्रार, अनन्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज | रिसर्च सेंटर

ऐसे तो कॉलेज बंद हो जाएंगे

सभी कॉलेज हाईकोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। यूजी के स्टूडेंट्स आ गए हैं। उनकी कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, पहले से सत्र से शुरू हुआ है। हाईकोर्ट के आदेश पर हमने पीजी की सीट बढ़ाई थी, लेकिन बाद में इसे कम कर दिया था। पीजी के लिए हमने एनएमसी की स्वीकृति लेते ही प्रवेश दिए हैं। यदि ऐसे करेगे तो कॉलेज संचालन मुश्किल हो रहा है। इस तरह की कार्रवाई से तो कॉलेज बंद हो जाएंगे।

आशीष अग्रवाल, देयरमैन, पिम्स, उमरगड़ा

हमारे साथ गलत हुआ, कहीं कोई कमी नहीं

हमारे साथ गलत हुआ है। गीतांजली का इन्फ्रास्ट्रक्चर पूरा मरीजों की संख्या भी कम नहीं है। ऐसे में इस तरह के आदेश निकालने से विद्यार्थियों को नुकसान होगा। बेवजह जानबूझकर परेशान किया जा रहा है।

प्रतीम ताम्बोली, सीडओ, गीतांजली हॉस्पिटल

यह आलेख www.jawabdosarkar.com पोर्टल पर प्रकाशित किया गया है। पाठकों की सुविधा एवं जिम्मेदार अधिकारियों/विभागों के संज्ञान में लाने के लिए पोर्टल पर प्रकाशित पेज 4 आलेखों को पीडीएफ फॉर्मेट में प्रकाशित किया गया है। पोर्टल द्वारा किसी नियमित एवं निश्चित प्रसार संख्या वाले किसी समाचार पत्र/पत्रिका का प्रकाशन नहीं किया जाता है। पाठकों से अनुरोध है कि इस आलेख को अधिक से अधिक जन हित में प्रसारित/शेयर करें।